


261

न्यायालय में:- माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर



R-3930-11/13

काठमांडौ प्रत्यक्ष
के सी.डी.डी. नं. 3930-11/13
को सी.डी.डी. नं. 3930-11/13
1-11-13

1- डोमारी पिता अधारी अगरिया निवासी ग्राम- खम्हरिया कला, तहसील- सोहागपुर,

2- प्रताप पिता स्व. रामस्वरूप अगरिया, निवासी ग्राम- खम्हरिया कला, तहसील-सोहागपुर, दोनों जिला शहडोल म. प्र. § -- आवेदकगण

बनाम

- 1- फूल चन्द्र पिता शोभे कुर्मी
- 2- बाबू लाल पिता शोभे कुर्मी
- 3- उदय चन्द पिता शोभे कुर्मी
- 4- सिरधर प्रसाद पिता सदइया कुर्मी
- 5- कुंआरे पिता सदइया कुर्मी फौत वा रिसपुत्र भूरा पिता कुआरे कुर्मी,
- 6- फूल चन्द्र पिता स्व० गणेश कुर्मी,
- 7- हीरा लाल पिता स्व० गणेश कुर्मी,

सभी निवासी ग्राम- खम्हरिया-कला, तहसील-सोहागपुर, थाना शहडोल, जिला शहडोल म. प्र. § --- अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध निर्णय श्रीमान् अपर क्लैक्टर श जिला- शहडोल के रा. प्र. क्र. 29/अपील/अ-23/2011-12 में पारित दिनांक 09.05.2013,

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 नू. रा. सं. 1959,

मान्यवर,

आवेदकगण निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन करते हैं कि:-

निगरानी का संक्षेप

1-

यह कि, ग्राम- खम्हरिया कला की आराजी व. केपुराहा 30/5/51

- 2 -


न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3930-तीन/2013

जिला शहडोल

डोमारी विरुद्ध फूलचंद्र

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
12-03-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला शहडोल के प्रकरण क्रमांक 29/अपील/अ-23/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 09-05-2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 09-05-2019 को आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	<p style="text-align: center;"> (आर.के.जैन) सदस्य</p> <p style="text-align: center;">12-3-19</p>